



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53772

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8951 वर्ष 2026

सुरेश

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अविनाश सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह चौहान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश तिवारी को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक सुरेश की ओर से थाना मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर में पंजीकृत केस क्राइम संख्या 227 वर्ष 2024, धारा 115(2), 110, 352, 117(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 24.02.2026 से जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि आवेदक प्राथमिकी में नामजद है, लेकिन न तो प्राथमिकी में और न ही घायल व्यक्तियों के बयान में घायल व्यक्तियों को चोट पहुँचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट और अलग भूमिका निर्धारित की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि घायल व्यक्तियों ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयानों में उन्हें चोट पहुँचाने के संबंध में आवेदक की अलग

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भूमिका निर्दिष्ट नहीं की है, बल्कि सभी अभियुक्तों को सामान्य और साझा भूमिका सौंपी गई है और सह-अभियुक्त अविरल कुमार के कब्जे से कठोर और कुंद वस्तु (टैंक की लोहे की रॉड) बरामद होने की बात कही गई थी। यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार घायल को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन घायल ने उसे गंभीर चोट पहुँचाने के लिए आवेदक के नाम का उल्लेख नहीं किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त रोहित, गौतम, अविरल कुमार को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 34790 वर्ष 2025, 16847 वर्ष 2025, 43018 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025, 17.07.2025, 05.12.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और इस मामले में समानता की मांग की गई है। यह आगे तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तर्क यह है कि विचारण के पूरा होने में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि विचारण से पूर्व के चरण में आवेदक की निर्दोषिता का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी रियायत का पात्र नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

5. पक्षकारों के उपरोक्त तर्कों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यद्यपि आवेदक प्राथमिकी में नामजद है, लेकिन न तो प्राथमिकी में और न ही घायल व्यक्तियों के बयान में घायल व्यक्तियों को चोट पहुँचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है, घायल व्यक्तियों ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज बयानों में आवेदक की अलग भूमिका निर्दिष्ट नहीं की है बल्कि सभी अभियुक्तों को सामान्य व साझा भूमिका सौंपी गई है और सह-अभियुक्त अविरल कुमार के कब्जे से कठोर व कुंद धातु (लोहे की रॉड) बरामद हुई थी, चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार घायल को गंभीर चोटें आई हैं लेकिन घायल ने गंभीर चोटें कारित

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के लिए आवेदक का नाम निर्दिष्ट नहीं किया है, समान भूमिका वाले सह-अभियुक्तों रोहित, गौतम, अविरल कुमार को पहले ही जमानत मिल चुकी है, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, विचारण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; विचारण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉ सूट 677** के मामले में उच्चतम न्यायालय के पैराग्राफ संख्या 53, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और न ही गवाहों को धमकाएगी।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगी जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी।
- (iv) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्त का बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी ताकि उसके विरुद्ध साक्ष्य में आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है, तो उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

6. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतियों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

17 मार्च, 2026

आरए

(माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।